COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

157

Ef. Rs 15/-

न्यायालय : श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /05/निगरानी 666 -II/2005

II/2005

अकबर खाँ पुत्र सरबर खाँ निवासी
शाहलहांनाबाद भोपाल (म.प्र.)

.... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

(1) सज्जन सिंह पुत्र मूलचंद

(2) हरकिशन पुत्र छोटेराम

(3) प्यारेलाल पुत्र छोटेराम

(4) सियाराम पुत्र मूलचन्द

(5) बुधियाबाई पत्नी हरकिशन

समस्त निवासीगण ग्राम होलीपुरा
तहसील बुधनी जिला सीहौर

.... उत्तर प्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

Noted 12/5/05

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

(1) यहकि, यह निगरानी श्रीमान् अपर आयुक्त भोपाल एवं होशंगाबाद सम्भाग भोपाल के द्वारा दिनांक 21.02.2005 को प्रकरण क्रमांक 143/अपील/02-03 में पारित आदेश से व्यथित होकर की गयी है जिसके द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील जो अनुविभागीय अधिकारी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 32/अपील/2000-2001 में पारित आदेश दिनांकी 23.09.2002 से व्यथित होकर पेश की गयी थी जो खारिज कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गयी है।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 666– दो/05 जिला –सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
26.9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्र0क0 143/अपील/02–03 में पारित आदेश दिनांक 21.2.05 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि ग्राम होली पुरा में स्थित भूमि खसरा न0 60 कुल रकवा 29.01 एकड़ के संबंध में आवेदक ने तहसीलदार बुधनी के समक्ष संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र पेश कर उसका नामांतरण करने का अनुरोध किया। जांच उपरांत तहसीलदार बुधनी ने आदेश दिनांक 25.4.01 के द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र प्रचनल योग्य न होने से निरस्त किया। इस आदेश के विरूद्व प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनलांक 23.9.02 के द्वारा निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी बुधनी के उक्त आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के यह प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 21.2.05 को अस्वीकार की गई इससे परिवेदित होकर यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के पिता मिलिट्री में सेवारत थे तथा शासन ने उन्हें ग्राम होलीपुरा तहसील बुदनी की भूमि खसरा न0 60 रकवा 29.01 एकड मिलिट्री सेवा के फलस्वरूप पटटे	